

मांग संख्या 64  
मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1**

अनुसूचित जाति पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु राशि ₹ 2685.80 लाख का व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 26,85,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2 एवं 3**

फास्टरपुर (सेतगंगा) जिला मुंगली में नवीन महाविद्यालय के स्थापना हेतु स्वीकृत आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 200 का प्रतीक व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2216

**मद क्रमांक 4 से 5**

इंदिरा आवास योजना हेतु अतिरिक्त राज्यांश ₹ 360.00 लाख का व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,60,00,000 लाख के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 6**

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए राशि ₹ 6511.00 लाख का व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 65,11,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

**मद क्रमांक 7**

केन्द्र क्षेत्रीय पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी योजना अंतर्गत राशि ₹ 15.05 लाख का व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 15,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2403

**मद क्रमांक 8**

चारा विकास योजना अंतर्गत राशि ₹ 65.69 लाख का व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 65,69,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 9**

ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना अंतर्गत राशि ₹ 22.57 लाख का व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 22,57,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2408

**मद क्रमांक 10**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूर्ण कम्प्यूटीकरण हेतु राशि ₹ 176.16 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 11**

पीली मटर दाल योजना हेतु राशि ₹ 1635.00 लाख का व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 16,35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 12**

शक्कर वितरण योजना के लिए राशि ₹ 99.36 लाख का व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 99,36,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 13**

रियायती दर पर आयोडाइज्ड नमक वितरण हेतु राशि ₹ 44.40 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 44,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

## मुख्य शीर्ष 2425

### मद क्रमांक 14

परम्परागत गौ पालन, मछली पालन एवं उद्यानिकी हेतु कृषकों को ₹ 1.00 लाख तक का ऋण 1 प्रतिशत ब्याज दर पर दिये जाने की योजना का विस्तार कर ₹ 1.00 लाख से ₹ 3.00 तक के ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराने पर राशि ₹ 0.32 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा । इस हेतु आकस्मिकता निधि से राशि ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया था ।

अतः अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुदान की आवश्यकता है ।

## मुख्य शीर्ष 2501

### मद क्रमांक 15

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनांतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों को ब्याज अनुदान हेतु ₹ 52.80 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 52,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है

## मुख्य शीर्ष 2801

### मद क्रमांक 16

बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के निःशुल्क विद्युत खपत की सीमा 30 यूनिट से बढ़ाकर 40 यूनिट की गई है अतएव एकल बत्ती कनेक्शन हेतु राशि ₹ 60.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

### मद क्रमांक 17

05 अश्वशक्ति तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु राशि ₹ 240.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

## मुख्य शीर्ष 4210

### मद क्रमांक 18

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत 36 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु ₹ 750.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

## मुख्य शीर्ष 4515

### मद क्रमांक 19

जिला महासमुंद/दुर्ग में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत अन्य लघु निर्माण कार्य हेतु क्रमशः ₹ 1.00 लाख एवं ₹ 2.34 लाख कुल ₹ 3.34 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,34,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

## मुख्य शीर्ष 6408

### मद क्रमांक 20

राज्य सहकारी विपणन संघ को बारदाना क्य हेतु ऋण के लिए राशि ₹ 1344.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 13,44,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।